न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 182/13 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2013/00402

अनवान्

1. श्री नाथूलाल पिता रामा जाट निवासी राणीखेडा तहसील मावली।
2. श्री जैराम पिता रामा जाट निवासी राणीखेडा तहसील मावली। मृतक
3. श्री वेणीराम पिता रामा जाट निवासी राणीखेडा तहसील मावली।
4. श्री भगवानलाल पिता रामा जाट निवासी राणीखेडा तहसील मावली।
5. श्रीमती हगामी पुत्री रामा पत्नी परसराम जाट निवासी लदाना तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी चतरभुज जाट निवासी राणीखेडा तहसील मावली।
2. श्री रामा पिता भेरा जाट निवासी राणीखेडा तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल/सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 31.10.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सालेराखुर्द पटवार हल्का लोपडा तहसील मावली में कृषि आराजी संख्या 260 रकबा 25 बीघा है जो वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी खाता संख्या 174 में हाल ही में दिनांक 05.06.2013 को विपक्षी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 600 से मिलीभगत के आधार पर गलत व फर्जी तरीके से अंकित हो गई हैं। उक्त आराजी संख्या 260 रकबा 25 बीघा को इस प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा हैं।
2. यह कि वादग्रस्त आराजी के साबिक आराजी संख्या 479 होकर उक्त आराजी श्री जोधसिंह पिता जयसिंह जी राजपूत निवासी सालेराखुर्द की थी। जिनसे प्रार्थीगण के पिता रामा जी ने दिनांक 21.12.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा प्राप्त किया एवं साबिक आराजी 479/1 रकबा 19 बीघा भूमि गत पैमाईश में खसरा परिशोधन संख्या 10 के द्वारा प्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई एवं साबिक आराजी नम्बर 479 रकबा 19 बीघा का नवीन वर्तमान आराजी नम्बर 260 रकबा 25 बीघा बना। जो ही वादग्रस्त आराजी हैं। विदित रहे कि प्रार्थीगण के पिता जमीन खरीदने के कारण 1971 में कुछ वर्षों के लिए सालेराखुर्द में रहे जिससे विक्रय पत्र में निवासी सालेरा खुर्द अंकित कर दिया गया हैं।

3. यह कि विपक्षी संख्या 2 जो स्व. श्री भेरा जी वल्द नान जी जाट निवासी पलानाकलां का पुत्र है जो पलानाकलां में भेरा जी के वहां ही पला पोसा। विपक्षी संख्या 2 को उसके पिता भेरा जी ने ही पाल पोस कर बडा किया, पढाया लिखाया जिससे विपक्षी संख्या 2 का वास्तविक नाम रामा पिता भेरा है, किन्तु उसने प्रार्थीगण के दादा श्री कालु पिता देवा जी की सम्पति को हडपने की नियत से बाद में अपना नाम रामा के साथ–साथ कहीं–कहीं चतरभुज भी लिखना शुरू कर दिया जबकि विपक्षी संख्या 2 का नाम चतरभुज कभी था ही नहीं। चतरभुज के नाम से अंकन विपक्षी संख्या 2 ने सोची समझी चाल के अन्तर्गत कालु पिता देवा जी जाट निवासी राणीखेडा की सम्पति को हडपने की दृष्टि से किया और मात्र इसी कारण से उसने जानबुझकर अपने पिता श्री भेरा की कृषि भूमि का बक्षीस पत्र रामा पिता कालु जाट के नाम से करवाया जबकि ऐसा कोई प्रसंग नहीं था कि भेरा पिता नान जी जाट निवासी पलानाकलां, रामा पिता कालु जाट निवासी राणीखेडा के नाम से बक्षीस करावें किन्तु यह सारा षडयन्त्र पूर्वक तरीके से सोची–समझी चाल के तहत किया गया हैं। वास्तविकता यह है कि पलानाकलां के निवासी भेरा पिता नान जी जाट का पुत्र विपक्षी संख्या 2 है जिसका वास्तविक नाम रामा है और इसी आशय का अंकन कई जगह राजकीय रिकार्ड एवं व्यक्तिगत रिकार्ड में हैं।

4. यह कि कालु पिता देवा जाट निवासी राणीखेडा के रामा नाम का जो पुत्र है उसका स्वर्गवास हो चुका है एवं प्रार्थीगण स्वर्गीय रामा पिता कालु के उत्तराधिकारी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या 2 प्रार्थीगण के दादा कालु पिता देवा जी जाट निवासी राणीखेडा का पुत्र हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक व्यक्ति के एक ही नाम के दो पुत्र कभी नहीं होते है किन्तु विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थीगण के दादा की सम्पति को हडपने की नियत से अपने पिता का नाम भेरा के बजाय कई स्थानो पर कालु अंकित करवा दिया। इसी क्रम में पलानाकलां की जमीन को बेचकर राणीखेडा में आकर रहना शुरू कर दिया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

गया है किन्तु अब विपक्षी संख्या 2 की नियत में खोट आ जाने से उसने जानबुझकर एक फर्जी नुमाईशी दान पत्र रामा पिता कालु के नाम से तैयार कर उसे अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवा दिया एवं अपने नाम के साथ उर्फ चतरभुज लगा कर वादग्रस्त आराजी को अपनी पत्नी विपक्षी संख्या 1 श्रीमती मोहनीबाई के नाम नुमाईशी दान पत्र के जरिये अंकित करवा दी जबकि प्रार्थीगण के पिता श्री रामा की तो मृत्यु हो चुकी हैं। इस कारण रामा पिता कालु द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवा रजिस्ट्री कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जो दान पत्र तैयार किया गया है वो अनाधिकृत, फर्जी एवं नुमाईशी दस्तावेज हैं।

5. यह कि अब वादग्रस्त आराजी विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हो जाने से विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना चाहते है तथा वादग्रस्त आराजी विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हो जाने से अब इसे अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर नाजायज धन राशि अर्जित करना चाहते है जिससे विवश होकर प्रार्थीगण को घोषणा हेतु वाद विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत करने पर विवश होना पडा हैं। वादग्रस्त आराजी में विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है किन्तु राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम गलत ईन्द्राज हो जाने मात्र से वे अब प्रार्थीगण को यह धमकीयां देने लग गये है कि वे वादग्रस्त आराजी को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देंगे एवं प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर देगें, इस कारण प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा उनके पिता स्वर्गीय श्री रामा जी के समय से ही लगातार चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण ही फसले बोकर फसले लेते है एवं समस्त काश्त का कार्य करते है किन्तु वर्तमान समय में कृषि भूमियों के दाम अत्यधिक बढ जाने से विपक्षीगण की नियत खराब हो गई है और अब वे राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राज का गलत फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है एवं वादग्रस्त आराजी को इन दिनों भूमाफिया के लोगों को बताकर वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण करने पर उतारू है, यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थीगण को अशोधनीय हानि होगी जबकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार होकर आधित्यधारी है, जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि विपक्षीगण द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ जबरन लडाई–झगडा करने व वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकीया दिये जाने से एवं भूमाफिया के लोगों को भूमि बताकर हस्तान्तरण करने पर उतारू होने से व इस प्रकार की धमकीयां अन्तिम बार दिनांक 02.07.2013 को देने पर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व आज ही इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी संख्या 260 रकबा 25 बीघा को किसी भी अन्य व्यकित को रहन, बैह बक्षीश या किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करे, न ही प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी अन्य व्यक्ति से करावें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के अनवान में अपना निवास स्थान सालेराखुर्द बताकर राणीखेडा लिखा है जो गलत है। प्रार्थीगण कभी सालेराखुर्द में नहीं रहे है और न उनके पिता ही सालेराखुर्द में रहे हैं। चूंकि विवादग्रस्त जमीन सालेराखुर्द में है इसलिए इन्होने सालेराखुर्द अंकित किया है जो गलत हैं। इसी तरह मुझ विपक्षी मोहनीबाई को निवासी पलानाकलां का बताया है लेकिन मैं मोहनीबाई पलाना में नहीं रही हूं। इसी तरह मुझ विपक्षी नम्बर 2 के पिता का नाम भेरा बताया है वह भी गलत बताया है जबकि मुझ विपक्षी नम्बर 2 रामा के पिता का नाम कालु जी हैं।
8. यह कि प्रार्थीगण का यह लिखना कि दिनांक 05.06.2013 को आराजी नम्बर 260 रकबा 25 बीघा विपक्षी संख्या 1 के नाम फर्जी व गलत तरीके से नाम पर आई है बल्कि मुझ रामा उर्फ चतरभुज पिता कालु जाट निवासी राणीखेडा ने विपक्षी नम्बर 1 मोहनी पत्नी रामा उर्फ चतरभुज जाट के पक्ष में दान पत्र लिखकर रजिस्टर्ड करवाया और उसी दान पत्र के आधार पर उक्त आराजी श्रीमती मोहनीबाई के नाम पर दर्ज हुई है जो बिल्कुल सही दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण के पिता श्री रामाजी ने उक्त जमीन दिनांक 21.12.1971 को श्री जोधसिंह पिता जयसिंह राजपूत से नहीं खरीदी और न कोई कब्जा प्राप्त किया और न प्रार्थीगण के पिता रामाजी कभी भी सालेराखुर्द रहे। सारे कथन गलत अंकित किये हैं। सही स्थिति यह है कि मुझ विपक्षी रामा के पिता कालु पिता देवा मूल रूप से राणीखेडा गांव के निवासी थे। श्री कालु जी की प्रथम शादीसुदा औरत जेवाणा ग्राम की थी जो कालु जी की असली पत्नी थी उसके कालु जी के नुत्फे से एक लडकी पैदा हुई जिसकी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

शादी खरताणा ग्राम में कराई जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं। उसका एक लडका धन्ना खरताणा गांव में मौजूद है। कालुजी ने अपनी प्रथम औरत मरने के बाद दूसरी शादी गांव सालेराखुर्द के देवा की पुत्री चम्पा से की थी उसके चार पुत्रीयां हुई जिसमें तीन मर चुकी है एक जीवित हैं। एक जिसका नाम मोती है जिसकी शादी उथनोल व दूसरी जमनी की शादी गांव सालेराखुर्द में कराई जो अभी मर चुकी हैं। चूंकि दूसरी और चम्पा के कोई लडका नहीं होने से कालु जी ने तीसरी पत्नी को नाते लाये जो नाथद्वारा की होना बताया जिसका नाम रतनी था उसके साथ एक बच्ची नाथी तथा एक लडका जिसको प्रार्थीगण अपना पिता बताते है। उस रामा को भी साथ लाई थी। राणीखेडा आने के बाद एक लडका सोलाल तथा दो लडकिया मेणी व केसी पैदा हुई जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं। कालु जी की शादीसुदा पत्नी चम्पा से भी एक लडकी मगनी और पैदा हुई जिसकी शादी सालेराखुर्द में कराई जो भी स्वर्गवासी हो चुकी हैं तथा मगनी के बाद कालु के नुत्फे से चम्पा के पुत्र मैं चतरभुज पैदा हुआ इस तरह मैं कालु जी की शादीसुदा पत्नी चम्पा से पैदा हुआ हुं और उस समय मुझे राणीखेडा में चतरभुज के नाम से ही पुकारा जाता था जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय जो रामा या जिस रामा को प्रार्थीगण अपना पिता बता रहे है जिस को कालु जी बाकडा बेटा के रूप में लाये। उस समय उसकी उम्र 40–45 वर्ष थी और उसके एक लडका पैदा हुआ जो लडका नाथु होकर प्रार्थी संख्या 1 है जिसकी शादी हो चुकी थी जिसकी उम्र वर्तमान में नाथु की उम्र 9 साल की थी तब तक राणीखेडा में कालु जी के साथ ही उसी गवाडी में अलग मकान में रहते थे बाद में मेरी मां चम्पा को यह अनुभव हुआ कि सोतेली मां व उसके लडके राणीखेडा की कुलिया सम्पति को हडपने की दृष्टि से मरे लडके मार सकते हैं। इसलिए मेरी मां मुझे लेकर के मेरे ननिहाल सालेराखुर्द में चली आई और करीब 5–6 साल तक मैं व मेरी मां ननिहाल सालेराखुर्द में ही रहे उसके बाद मेरी मां मुझे लेकर पलानाकलां में चली आई यहां मुझे रामा नाम से पुकारने लग गये तात्पर्य यह हुआ कि राणीखेडा में मुझे चतरभुज कहते थे इस तरह रामा, चतरभुज दोनो एक ही व्यक्ति विपक्षी नम्बर 2 हैं यानि चतरभुज नाम का व्यक्ति अलग हो और रामा नाम का व्यक्ति अलग, ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति होने से रामा उर्फ चतरभुज पिता कालु के नाम से सम्बोधित होता रहा है। मैं जब पलानाकलां में था तब मेरे पिता कालु जी का राणीखेडा में देहान्त हो गया उस समय मुझे मेरे बहन बहनोई सालेराखुर्द वाले साथ ले गये दाह संस्कार मैं शामिल हुआ तीन माह तक राणीखेडा में ही रहा उसके बाद मेरे सोतेले भाई जो प्रार्थीगण है मेरे से झगडा करने लग गये जिससे मैं पुनः पलानाकलां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

चला गया तथा वहां भी भेरा के भाईबन्धों ने झगडा किया और कहा कि यह लडका कालु जी का है इसको यहां नहीं रहने देंगे इस पर मैं व मेरी मां वापस मेरे ननिहाल सालेराखुर्द में आ गये और वहां ठाकुर सा. जोधसिंह जी से जमीन खरीदी और उसकी रजिस्ट्री कराई तब से उस जमीन पर हमारा कब्जा चला आ रहा है चूंकि उस समय मेरा नाम प्रचलित रूप से रामा पिता कालु चला आ रहा था इसलिए रजिस्ट्री ठाकुर जोधसिंह जी ने मुझ रामा पिता कालु निवासी सालेराखुर्द के नाम पर कराई क्योंकि उस समय में सालेराखुर्द में ही रहता था जिससे मेरा निवास स्थान सालेराखुर्द बताया है जबकि प्रार्थीगण के पिता कभी भी सालेराखुर्द में नहीं रहा और न वहां उसके रहने का कोई सवाल ही पैदा होता है। जिस समय रजिस्ट्री कराई उस समय मेरी उम्र करीब 23 वर्ष थी इसलिए उस विक्रय पत्र में मेरी उम्र 23 वर्ष लिखी है जबकि प्रार्थीगण के पिता रामा की उम्र 53 साल की थी। अगर वास्तव में यह विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पिता रामा के नाम का होता तो उस विक्रयपत्र में उसकी उम्र 53 साल लिखी जाती जो उस विक्रय में नहीं है इससे स्पष्ट है कि यह विक्रय पत्र मुझ रामा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में लिखा गया है तथा ठाकुर सा. जोधसिंह जी को पूरा बदल देकर मुझ रामा ने ही खरीदी है तथा कब्जा प्राप्त किया है इस जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिये मैं स्वयं ठाकुर सा. जोधसिंह जी मावली आये और हम दोनो उस समय जोधसिंह जी, एडवोकेट मावली से विक्रय पत्र लिखवा रजिस्ट्री कराने की बात करी फिर अर्जीनवीस मिश्रीलाल जी से विक्रय पत्र लिखवाकर रजिस्ट्री कराई वो मिश्रीलाल भी स्वर्गवास हो चुके हैं। ठाकुर सा. से जमीन खरीदने के बाद कुछ समय ठाकुर सा. की कोटडी में सालेराखुर्द में रहा तथा बाद में इसी खरीदसुदा जमीन में मकान बनाया और मैं व मेरी मां उसमें रहने लग गये फिर उस जमीन पर कुवा खुदवाया, बन्दवाया, इस तरह इस विवादग्रस्त जमीन पर मुझ रामा पिता कालु का ही कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण के पिता रामाजी का स्वर्गवास हुए करीब 15 साल हो गये हैं। अगर वास्तव में यह विवादग्रस्त जमीन प्रार्थीगण के पिता रामा की होती तो प्रार्थीगण इस जमीन का नामान्तरकरण अपने पक्ष में कराते परन्तु ऐसा नहीं कराया इससे स्पष्ट है कि यह जमीन प्रार्थीगण के पिता रामा की नहीं थी मुझ रामा की थी चूंकि मैं रामा जिन्दा हूं इसलिए इस जमीन का नामान्तरकरण नहीं खुला और मैने इस जमीन का दान पत्र मेरी पत्नी विपक्षी संख्या 1 को किया जो सही हैं। मेरे पिता कालु जी के मरने के बाद उनके खाते गांव राणीखेडा की जमीन मुझ चतरभुज प्रार्थीगण के पिता रामा व रामा के भाई सोलाल के बराबर हक से दर्ज हुई इससे भी यह स्पष्ट है कि मैं रामा उर्फ चतरभुज एक ही व्यक्ति होने से नाम पर दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह नहीं बताया है कि राणीखेडा की जमीन जिस चतरभुज के नाम पर दर्ज हुई है वह चतरभुज कौन है व मुझ रामा से अलग है वर्तमान में जीवित है या उसका स्वर्गवास हो चुका है इन सभी का विवरण नहीं करने से यह स्पष्ट है कि मैं ही रामा उर्फ चतरभुज हुं तथा रामा और चतरभुज दो व्यक्ति नहीं है एक ही व्यक्ति है मेरी मां का स्वर्गवास सालेराखुर्द में ही हुआ उसके मरने के बाद मैं राणीखेडा आ गया वहां मकान बनाया तथा रहने लग गया हूं। मेरी पहली शादी सालेरा के हिराजी की बेटी झमकु से हुई जो मुझे छोडकर विशनपुरा नाते चली गई। उसके बाद मैने भावली के गणेश जी की लडकी मोहनी को नाते लाया और उसके नुत्फे से एक लडका व तीन लडकिया पैदा हुई। लडका शान्त हो गया, तीनों लडकियों की शादी की बरात राणीखेडा में आई और शादी भी राणीखेडा में कराई चूंकि मुझ विपक्षी के लडके का स्वर्गवास हो गया तीनो लडकिया ससुराल चली गई तो मेरे सोतेले भाईयों ने हमारे साथ गुन्डागर्दी करने लग गये ताकि राणीखेडा की सारी जमीन उनको मिल जाए। उनके भय से वर्तमान में भावली मकान बनाकर रह रहे हैं। मैने वर्तमान में प्रार्थीगण के विरूद्व राणीखेडा की जमीन के बंटवाडा का वाद पेश किया जिसके बाद वे गुन्डागर्दी झगडा करने लग गये जिससे मैं भावली चला गया जैसा कि उपर निवेदन किया गया है कि कालु की तीसरी पत्नी जो की गैरकानूनी है क्योंकि इसके पहले मुझ विपक्षी की माता चम्पा, कालु जी की शादीसुदा पत्नी मौजूद थी तो कालु जी को तीसरी पत्नी नाते लाये जो गैरकानूनी है तथा प्रार्थीगण का तथाकथित पिता रामा बाकडा आया था इसलिए की यह कालु जी का लडका नहीं है फिर भी चूंकि यह अपने आप को रामा पिता कालु के नाम से पुकारता था और मुझ विपक्षी का नाम भी रामा पिता कालु था इसलिए दोनो के एक ही नाम होने से प्रार्थीगण ने उसका नाजायज फायदा लेने की गर्ज से यह झूठा वाद पेश किया हैं। प्रार्थीगण के कथित पिता रामा ने अपने जीवनकाल में इस जमीन बाबत् कभी कोई विवाद नहीं किया बल्कि एस.डी.ओ. वल्लभनगर में सन् 1987 में देवीलाल पिता नारायण व अन्य ने जो इस विवादग्रस्त जमीन का पडौसी था उसने भी एक दावा किया इसमें विपक्षी के रूप में मुझ रामा उर्फ चतरभुज पिता कालु जाट निवासी राणीखेडा लिखा है उसी तरह डालचन्द बनाम अमरचन्द के फौजदारी केस में मुझ रामा उर्फ चतरभुज पिता कालु जाट निवासी राणीखेडा मुन्सिफ एवं ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मावली ने सन् 1978 में गवाह के रूप में तलब किया था उसमें भी मेरा नाम रामा उर्फ चतरभुज पिता कालु जाट लिखा हुआ हैं। इन दस्तावेजो से भी यह

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

भलीभांति प्रमाणित हो रहा है कि मैं विपक्षी ही रामा पिता कालु व चतरभुज पिता कालु हुं।

9. यह कि मैं विपक्षी रामा उर्फ चतरभुज पिता कालु जी का ही पुत्र हुं। भेरा पिता नाना जी का लडका नहीं हुं। मुझ रामा उर्फ चतरभुज का जन्म कालु की शादीसुदा पत्नी चम्पा से हुआ जबकि प्रार्थीगण के पिता रामा जी नातायत पत्नी के साथ बाकडा बेटा के रूप में आये थे तथा प्रार्थीगण के पिता रामा यह जानते थे कि सालेराखुर्द की जायदाद उन्होने नहीं खरीदी बल्कि मुझ विपक्षी रामा ने ही खरीदी इसलिए उन्होने अपने जीवनकाल तक कोई झगडा नहीं किया, बाद में रामा के लडके प्रार्थीगण ने लोभ लालच के वशीभूत होकर झूठा वाद पेश किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा हम विपक्षीगण का है और वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 विवादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है ऐसी अवस्था में हमारे विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का वाद लाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। इस जमीन पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं रहा है बल्कि जमीन पर कब्जा हम विपक्षीगण का हैं। हमने ही मकान बनाया, कुआ खुदवाया व हम की फसले ले रहे हैं। इस तरह प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। हमारे खिलाफ कोई बिना प्रार्थना पत्र पैदा नहीं होता हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं जो पूर्व में रामा पिता कालु जाट के नाम पर दर्ज थी। प्रार्थीगण उक्त भूमि के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता रामा पिता कालु जाट के नाम पर दर्ज थी जिसे प्रार्थीगण के पिता द्वारा जोधसिंह पिता जयसिंह राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.12.71 से क्रय की गई परन्तु विपक्षी संख्या 2 रामा पिता भेरा जाट द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी भूमि होना बताकर जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 08.05.2013 से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दान कर दी जिसे प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 2 के पिता का नाम भेरा गलत बताया जबकि विपक्षी संख्या 2 के पिता का नाम कालु हैं। वादग्रस्त भूमि को स्वयं विपक्षी संख्या 2 द्वारा क्रय कर उस पर मकान बनाया, कुआ खुदवाया, कुआ बन्दवाया एवं वादग्रस्त भूमि पर मेरा ही कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो विपक्षी संख्या 2 से जरिये दान पत्र प्राप्त हुई। वादग्रस्त भूमि पूर्व में रामा पिता कालु के नाम दर्ज थी। प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थीगण के पिता रामा पिता कालु एवं विपक्षी संख्या 2 रामा पिता भेरा उर्फ कालु समान नाम होने सम्बन्धित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणा का वाद पेश किया हैं। प्रार्थीगण के अनुसार विपक्षी संख्या 2 एवं प्रार्थीगण के पिता का समान नाम होने से विपक्षी संख्या 2 द्वारा इसका नाजायज फायदा उठा वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दान कर दी। विपक्षीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि स्वयं विपक्षी संख्या 2 द्वारा क्रय की गई थी परन्तु विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब दावे में ऐसा कोई कथन अथवा तथ्य अंकित नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि जब विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज थी तो उसे अपनी पत्नी विपक्षी संख्या 1 के नाम दान पत्र निष्पादित करने की आवश्यकता क्यों पडी। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किये जाने से इस पर संशय उत्पन्न होता हैं। प्रार्थीगण के पिता रामा पिता कालु एवं विपक्षी संख्या 2 रामा पिता भेरा उर्फ कालु समान नाम के तथ्य को इस प्रकरण में निर्णित नहीं किया जा सकता है जिसे मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किया जावेगा परन्तु वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण हुआ है यदि वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन हस्तान्तरण होता रहेगा तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं जो पूर्व में रामा पिता कालु जाट के नाम पर दर्ज थी। प्रार्थनाग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय करना बताया। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये हुए हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा सालेराखुर्द पटवार हल्का लोपडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 174 पर दर्ज आराजी नम्बर 260 रकबा 25 बीघा भूमि रामा पिता कालु जाट के नाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज थी जो नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 05.06.2013 से जरिये दान पत्र विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई।

प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने पिता रामा पिता कालु द्वारा क्रय करना बताकर रामा पिता कालु के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम घोषणा कराने हेतु वाद पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 02.09.2013 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा सालेराखुर्द पटवार हल्का लोपडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 के खाता संख्या 174 पर दर्ज आराजी नम्बर 260 रकबा 25 बीघा भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested